राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक: एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 18-11-2015

संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 16.11.2015 में योजनाओं में वित्तीय प्रगति तथा स्वीकृत करने की समीक्षा की गयी। इस संबंध में निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. थर्ड पार्टी निरीक्षण के संबंध में विभिन्न इन्जिनियरिंग कालेजों के साथ बैठक में लिये गये निर्णय की कियान्विति हेतु मा0 मंत्री महोदय से प्रशासनिक स्वीकृति इस सप्ताह ली जाकर कार्यशाला आयोजित की जाए। श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, पीपलान्त्री (राजसमंद) को थर्ड पार्टी निरीक्षण में कन्सल्टेन्ट के रूप में शामिल किया जाए।

(एसई,आईएवाई)

2. इन्दिरा आवास योजना में कम प्रगति वाले प्रत्येक जिले से एक विकास अधिकारी के खिलाफ 17सीसी की चार्जशीट जारी की जाए। अभी तक 21 विकास अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है। इन पर त्वरित कार्यवाही हेतु पंचायतीराज में सम्पर्क किया जाए। आवास योजना में कम प्रगति वाले 6 जिलों से मुख्यालय पर समीक्षा हेतु बुलाया जाए।

   - आवास योजना में अब तक 96000 रजिस्ट्रेशन के विरूद्ध 62000 की स्वीकृति जारी कर 33000 परिवारों को प्रथम किश्त रिलीज की गयी। पीएफएमएस में विलम्ब हो रहा है। इस हेतु भारत सरकार को लिखा गया है।
   - अलवर जिला परिषद के पास 2.50 करोड़ रूपये आधिक्य है, इसी तरह अन्य जिलों से भी आधिक्य राशि को प्राप्त कर मुख्यालय के बैंक खाते में डाले जाने हेतु कार्यवाही करें।
   - अगामी वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आवास योजना के लक्ष्यों की वस्तुस्थिति से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराया जाए।
   - 12 जिलों में आवास सहायकों की नियुक्ति में एकरूपता हेतु मुख्यालय स्तर से आवास सहायक नियुक्त करने का ड्राफ्ट ओडर तैयार कर जिलों को भिजवाया जाए।

(एसई,आईएवाई)

3. योजना में वर्ष 2014–15 के सभी स्वीकृतियों हेतु लक्ष्य के अनुरूप समस्त स्वीकृतियॉ जारी करायी जाए तथा अल्पसंख्यक परिवारों के लक्ष्य के संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशन करवाकर स्थिति की समीक्षा कर लक्ष्य व्यय करने हेतु भारत सरकार को लिखा जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

4. एमएलए व एमपी लैड के कार्यो की अभिशंषा हेतु संबंधित मा0 विधायक/सांसद को पासवर्ड उपलब्ध कराये जाऐ। मा0 मंत्री महोदय की ओर से मा0 विधायकों/ सांसदों को पत्र जारी किया जाए।

(पीडी एसएपी)

5. गुणवत्ता नियंत्रण (क्वालिटी कन्ट्रोल) हेतु निजी प्रयोगशालाओं को अनुमत किये जाने के संबंध में कार्यवाही कर उचित स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर आदेश जारी किया जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

6. 1310 ग्राम पंचायतों में सामग्री टेण्डर नहीं हुए है। इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया जावें। आगामी वित्तीय वर्ष में समय पर दर अनुसूची बने एवं सामग्री की निविदा निर्धारित हों की नियमित समीक्षा की जावे।

(एसई अभि0 / वित्तीय सलाहकार)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना में 178 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ है। शेष के चयन हेतु कार्यवाही की जावे। शहरी क्षेत्र के विधायकों को शहर के किसी वार्ड का चयन किये जाने के संबंध में पत्र जारी करावें।

(पीडी,एसएपी)

8. बीएडीपी योजना में 40 करोड़ राशि का विशेष प्रोजेक्ट भारत सरकार स्वीकृति हेतु भिजवाया जाना है। श्री योजना के चयनित गांव का सर्वे प्लान तैयार कराकर शीघ्र स्वीकृति हेतु भिजवाया जावे। डांग, मगरा, मेवात योजना में राज्य स्तर पर उपलब्ध राशि (20 प्रतिशत) के प्रस्ताव प्राप्त किये जायें। जिसमें श्री योजना के चयनित गांवों के प्रस्तावों को भी शामिल कर स्वीकृति जारी कराने की कार्यवाही की जाये।

(पीडीएसएपी / प्रभारी श्री योजना)

9. बीएडीपी में ट्रेनिंग मद की राशि के शीघ्र उपयोग के संबंध में आरएसएलडीसी से सम्पर्क किया जाए।

(पीडी एसएपी)

10. विधान सभा के 19 प्रश्न लम्बित है। मोनिटरिंग एवं मूल्यांकन अनुभाग के –7 व एसएपी अनुभाग के –8 एवं आवास के –4 लम्बित प्रश्नों का निस्तारण कराये।

(योजना प्रभारी)

11. दिनांक 19.10.2015 को परियोजना अधिकारियों की आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार कर भिजवाया जाए तथा अधिशाषी अभियन्ताओं की 30 नवम्बर 2015 को बैठक रखी जाए। इस संबंध में नोटिस जारी किया जाए।

(एसई, ग्रा.वि.)

12. इस माह सबसे कम प्रगति वाले 8 जिलों में से 3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जयपुर, बूँदी, भरतपुर) को दिनांक 17.11.2015 को मुख्यालय पर बुलाकर बैठक आयोजित की जाए।

(योजना प्रभारी)

13. ग्रामीण विकास योजनाओं की समस्याओं के शीघ्र निस्तारण हेतु सबसे कम प्रगति वाले जिलों में अधिकारियों का एक दल भेजा जाए

(योजना प्रभारी)

14. विभागीय योजनाओं की यूसी / सीसी समायोजन की स्थिति की समीक्षा आईडब्ल्यूएमएस पर पर समीक्षा की जाएगी।

(वित्तीय सलाहकार)

15. मुख्यमंत्री जल सरंक्षण अभियान के लिए ग्रामीण विकास की किन किन योजनाओं से राशि दी जा सकती है सूचना प्रेषित की जावे।

(योजना प्रभारी)

16. उपापन नियम 44 के संशोधन तथा बीएसआर दर पर कार्य सम्पादन एवं सामग्री मद के प्रावधान हेतु प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव महोदय के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जावें।

(वित्तीय सलाहकार / एसई अभि0 / प्रभारी श्री योजना)

17. डांग, मगरा, मेवात योजना की बजट घोषणा एवं श्री योजना में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देश अनुसार गांव में उपलब्ध एवं न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का चिन्हीकरण कर सर्वे हेतु आईएवाई एवं अन्य योजनाओं के प्रशासनिक मद का उपयोग कर ड्रेनेज प्लान तैयार करने के निर्देश जारी किये जावें। जिसमें आईएवाई के आवासों का सर्वेक्षण कार्य भी शामिल किया जावे।

(पीडी एसएपी / प्रभारी श्री योजना)

18. ज़िलों एवं पंचायत समितियों में अभियन्ताओं के पद रिक्त है। उन जिलों एवं पंचायत समितियों में समीपतम जिले एवं पंचायत समितियों के कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ताओं को अतिरिक्त कार्यभार दिये जाने की कार्यवाही की जावे। जिससे कार्य बाधित न हो।

(संयुक्त सचिव, प्रशासन)

19. ज़िला परिषदों में ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ एवं पंचायतीराज के कार्मिकों को जिला स्तर पर हस्तान्तरण का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिया जाए।

(संयुक्त सचिव, प्रशासन)

परि0निदे0 एवं पदेन
उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
4. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
5. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
6. अति0 मुख्य अभियन्ता (सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
8. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परि0निदे0 एवं पदेन उप सचिव (मोएवंमू)